

मूल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1594 (11) / 2015-16

आवेदन की तिथि 12/11/15
अभिलेखना की तिथि 14/11/15
निर्गत दिनांक 16/11/15


(11) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हरताक्षर	अभियुक्ति
7/10/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>राजेश कुमार सिंघानिया</u></p> <p>पिता/प्रति <u>जयशंकर सिंघानिया</u> साकिम <u>सुखदेव सिंघानिया</u></p> <p>धाना <u>सुरेश सिंघानिया</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।</p> <p>आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>श्रीरामपुर</u></p> <p>मौजा नं० <u>12</u> खाता नं० <u>122, 20</u> प्लॉट नं० <u>1206, 1956</u></p> <p>रकबा <u>9.95 अरब (15.26 हेक्टेयर)</u></p> <p>दलील सं० <u>9860</u> दिनांक <u>30/12/14</u> के</p> <p>द्वारा श्री/श्रीमती <u>सुरेश सिंघानिया</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>13/10/15</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>12/15</p>
23/10/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाले की है। जमाबंदी सं० <u>121, 20</u> में विक्रेता-के/विक्रेता के <u>सुरेश सिंघानिया</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा-अन्तर भूदांक फ्री-रिजि-को-कोपोमार्ग में जमा कर दलील को वैध करा-लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>13/10/15</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p>13/10/15</p> <p>14/10/15</p> <p>15/10/15</p> <p>16/10/15</p> <p>17/10/15</p> <p>18/10/15</p> <p>19/10/15</p> <p>20/10/15</p> <p>21/10/15</p> <p>22/10/15</p> <p>23/10/15</p>

ने के द्वारा फोटो कोपी किया गया 16/11/15 परिशिष्टिक/टंकक

नेने मिलान किया सुरेश सिंघानिया

प्रमाणित सचची प्रतिनिधि मनीष कुं-पौ धर 16/11/15 अंचल कार्यालय धनबाद



4/11/15
 कोर्ट फी
 दो रुपये TWO RUPEES

के निहित हस्टेंटों के अधिधारियों (शैयत) का नामान्तरण (वाजिब-साजिब) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

श्री- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

आवेदन की तिथि 12/11/15
 आवेदन की तिथि 18/11/15
 आवेदन की तिथि 16/11/15

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण के संख्या	2	1504 (II) 15-16	दा० खा०
3	गाँव	धनबाद	4	धनबाद 12	धनबाद
5	नामान्तरण और सचवा अम्युचित की संख्या	खाता- 12220 प्लॉट- 1206 256 रकबा- 9.25 बरू (1524 इस्वीकन) लगान- 20,000/-	6	अंचल अधिकारी धनबाद	अंचल अधिकारी धनबाद
7	नामान्तरण किता काय से होना है कि की वान विनिष्प, उत्तराधिकार या वदारा हुआ है ?	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 9860 34/12/14	8	पुराना जमा- 20, 121 -- पुराना शैयत- शासक संडल नया शैयत- श्री राजेश कुमार संडल श्री राजेश कुमार संडल श्री - कुकुम - खिरी	पुराना जमा- 20, 121 -- पुराना शैयत- शासक संडल नया शैयत- श्री राजेश कुमार संडल श्री राजेश कुमार संडल श्री - कुकुम - खिरी
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	जमा सं० में दर्ज किया	10		

शापक संख्या..... ता०..... 2015
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

द्वारा फोटो कोपी
 किया गया
 प्रतिलिपिक / टंकक

मैंने मिलान किया
 महायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
 प्रमुख/सहायक
 अंचल कार्यालय
 धनबाद